निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 58 / 2022
दायरा दिनांकः—08.07.2020
निर्णय दिनांकः— 21.10.24

उनवान

हजारी उम्र 60 साल पुत्र भागचन्द जाति धाकड निवासी खोपर तहसील छबडा जिला बारां राज0

बनाम

1. नन्दकिशोर उम्र 46 साल पुत्र रामकिशन
2. परमानन्द उम्र 36 साल पुत्र रामकिशन
3. प्रहलाद उम्र 28 साल पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासीगण खोपर तहसील छबडा जिला बांरा (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 21.10.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री मुकेश शर्मा— प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 246 की खसरा नम्बर 419 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा वाके मान खोपर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी चला आ रहा है। मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तेनी है जो प्रार्थी के बाप दादा के जमाने से पहले बाप—दादा प्रार्थी के और अब प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिस पर वादी एवं प्रार्थी के पूर्वज लगभग 100 वर्षो से भी अधिक समय से निंबाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण 1 ता 3 प्रार्थी को आये दिन नाजायज रूप से परेशान कर प्रार्थी की मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा करने की नियत से उक्त कृषि भूमि मे से एक हिस्सा लगभग 1 बीघा भूमि पर कब्जा करना चाहतें है। अप्रार्थीगण आये दिन वादी को धमकी देते है कि यदि तूने उक्त कृषि भूमि का पूर्व दिशा का हिस्सा 1 बीघा हमें नही दिया तो हम तेरे हाथ पैर तोड के ऐसा हाल कर देगें कि तू इस जमीन पर आना भी भूल जायेगा। इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 प्रार्थी को धमकींया देकर उक्त कृषि भूमि का लगभग 1 बीघा हिस्सा हडपना चाहता है। वादी प्रतिवादीगण के इस असंवैधानिक कृत्य से वहुत परेशान है। जबकी अप्रार्थीगण को वादी को परेशान करने व उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी ने प्रतिवादीगण को कई बार समझाने का प्रयास किया कि जमीन मेरे बाप—दादा के जमाने से ही मेने इसी प्रकार देखी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

। और में उसी जगह पर काबिज हू जहां पर मेरे पूर्वज काश्त करतें थे। लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 वादी के समझाने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है। अप्रार्थीगण लडाकु–झगडालू प्रवृति के ताकतवर एवं राजनितिक पहुच वाले होने के कारण वादी को डरा धमका कर प्रार्थी की कृषि भूमि का बडे हिस्से पर कब्जा कर हडपना चाहतें है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की जमीन हडपने में कामयाव हो जावेगें और यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कि कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति होना सम्भव नही है। यदि अप्रार्थीगण दौराने वाद प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 419 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा वाके माल खोपर को हडपने या अवैध कब्जा करने में सफल हो जावें तो प्रार्थी अप्रार्थीगण से पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। विवाद कारण दिनांक 26.06.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी अपने खेत पर सोयाबी की बुवाई कर रहा था तभी अप्रार्थीगण एक साथ होकर प्रार्थी के खेत पर आये और प्रार्थी को अपने ही खेत पर सोयबीन की बुवाई करने से रोकने का असफल प्रयास किया। एवं प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 20.05.2024 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 246 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खोपर फोटो प्रति आधार कार्ड हजारीलाल पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है विवादित भूमि पुश्तेनी है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है जिस पर 100 वर्षो से काश्त करतें चले आ रहे है अप्रार्थीगण प्रार्थी को आये दिन नाजायज परेशान कर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है प्रार्थी को डरा धमका कर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहतें है अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को पाबन्द फरमावे जिससे प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा नही कर सके अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 246 के हजारी पुत्र भागचन्द, जानकी बाई, कलावती बाई यशोदा बाई पुत्रिया भागचन्द का नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी की है जिसमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है सहखातेदार भागचन्द की तीन पुत्रियां है अप्रार्थी सहखातेदार भी नही है अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नही है प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 419 रकबा 9.07 बीघा में प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे ऐसा कृत्या ना तो स्वंय करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)